न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, रानी, जिला–पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी– सिद्धार्थ सान्दू (**R.A.S.**)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या–02 / 2023 जीसीएमएम 2023 / 53
तारीख दायरा– 13 / 06 / 2023
तारीख फैसला– 18/9/ 2024

प्रार्थी :–

1. अर्जुन लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति–नायक, निवासी रायपुरिया, तहसील–रानी, जिला–पाली।

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगणः–

1. हिरकी पुत्री वागाराम जाति मेघवाल, निवासी–वणदार तहसील–रानी जिला–पाली हॉल निवासी–बाता रघुनाथगढ तहसील–मा.जंक्शन जिला पाली (राज.)
2. मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति–सरगड़ा, निवासी–खिंवाड़ा, तहसील–रानी जिला–पाली।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह परमार उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 अनुपस्थित।

–:आदेशः– दिनांक–18/9/24

प्रार्थी ने प्रारूप अनुसार आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम खिवाडा पटवार हल्का खिवाडा तहसील रानी के खसरा नंबर 81 / 3 रकबा 1.1600 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम में आवागमन के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 की खातेदारी भूमि कमशः ग्राम खिवाडा के खसरा नंबर 81 / 4 रकबा 1.3300 हैक्टर किस्म जाव सोयम एवं अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी भूमि ग्राम खिवाडा के खसरा नंबर 79 / 218 रकबा 0.6800 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में से होकर संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शित अनुसार 30 फिट चौडाई का रेकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। तहसीलदार रानी को मौका एवं अभिलेख स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रानी की जांच कर रिपोर्ट पत्रांक राजस्व / 2024 / 1990 दिनांक 23.08.2024 अनुसार प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुंचने हेतु रेकर्डेड रास्ता से होकर खसरा नम्बर 81 रकबा 1.31 हेक्टेयर किस्म जाव सोयम कृषि भूमि से रास्ता प्रस्तावित कर प्रार्थी द्वारा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जो प्राथी के लिए सर्वथा उपयुक्त, निकटतम व सुविधाजनक है तथा प्रार्थी के लिए इसका कोई विकल्प नही होना प्रथमदृष्टया प्रतीत होने से प्रार्थी ने खसरा नम्बर 81 से प्रस्तावित रास्ता हेतु अपनी सहमति जाहिर की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के प्रावधानो के अनुरूप प्रस्तावित रास्ता जिसे तहसीलदार, रानी की रिर्पोट व नजरी नक्शा मे दर्शाया गया है, सर्वथा उपयुक्त होने तथा निकटतम, सुविधाजनक व विकल्परहित होने से इसी अनुरूप प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करना न्यायोचित है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

अतः तहसील रानी के पटवार मण्डल खिवाडा ग्रामू गुडा दोलजी के खसरा नम्बर 65 गै.मु.रास्ता से होकर प्रार्थी की जोत खसरा नम्बर 81/3 तक पहुचने हेतु खसरा नम्बर 81 से होकर 5 मीटर चौडाई में तथा 30 मीटर लम्बाई में अर्थात कुल 0.0150 हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी से दर्शाये अनुसार रास्ता सर्वथा उपयुक्त व नियमानुकुल होने से रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता हेतु प्रयुक्त खसरा नम्बर 81 की भूमि राजकीय सिवाय चक दर्ज होने से उक्त रास्ता हेतु प्रयुक्त कुल 0.0150 हैक्टेयर भूमि की प्रतिकर राशि वर्तमान डी.एल.सी. अनुसार रूपये 2,41,872/- प्रति हेक्टैयर की दर से कुल रास्ता हेतु प्रयुक्त भूमि क्षैत्रफल 0.0150 हैक्टेयर से 3,628 की दुगनी राशि अर्थात 7,256/- राउण्डआफ रूपये 7,260/- राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। उक्त प्रतिकर राशि रूपये 7,260/- को नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाकर प्रार्थी की जोत खसरा नम्बर 81/3 तक आवागमन हेतु सार्वजनिक रास्ता प्रयोजनार्थ प्रयुक्त खसरा नम्बर 81 की कृषि भूमि का नजरी नक्शा में दर्शाए अनुसार कुल 5 मीटर चौडाई में तथा 30 मीटर लम्बाई में अर्थात कुल 0.0150 हैक्टेयर भूमि मार्क ए बी सी डी से दर्शाये अनुसार रास्ता प्रयोजनार्थ प्रयुक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर, मौके पर भूमि का नाप चौक कर रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते है। मौका रिर्पोट व नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग माना व समझा जावे। माफिक आदेश पालना हेतु इस आदेश मय नजरी नक्शा जांच रिर्पोट की प्रतिलिपि पालनार्थ तहसीलदार रानी को तहरीर के साथ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार हो।

(सिद्धार्थ सान्द)
सहायक कलेक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी, रानी

सहायक कलेक्टर
पद S.D.O. रानी